

प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 31-03-2021
दहेज हत्या की एक नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर** के दिशानिर्देश में व श्री अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व श्री जगतराम कनौजिया पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग दर्शन व श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात सिंह देखभाल क्षेत्र, पेन्डिंग विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त में ग्राम जगदीशपुर भलुआन में मौजूद थे कि मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि साहब मु0अ0सं0 581/2020 धारा 498A/304B भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट की अभियुक्ता रिंकी पुत्री हिरालाल अपने घर ग्राम कुनेलपुर में मौजूद है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ी जा सकती है। इस सूचना को जरिये दूरभाष श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बांसगांव को अवगत कराते हुये। मै उ0नि0 थाना स्थानीय से म0का0 नीरज पाण्डेय को हस्तुल तलब कर मुखबीर की बात से अवगत कराते हुये, मै उ0नि0 मय हमराह म0का0 मय मुखबीर के प्रस्थान कर ग्राम कुनेलपुर पहुँचा कि मुखबीर खास ने इशारा करके बताया कि साहब यही रिंकी का घर है और वो जो सूट पहने हुये महिला बैठी है वही रिंकी है। हम पुलिस वाले महिला के घर पहुँचे वहाँ घर के बाहर बैठी महिला की तरफ आगे बढ़े कि हम पुलिस वालों को देखकर सकपका गयी। म0का0 की मदद से महिला अभियुक्ता को पकड़ लिया गया। पकड़ी गयी महिला अभियुक्ता से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रिंकी पुत्री हिरालाल सा0 कुनेलपुर थाना गगहा गोरखपुर व उम्र पूछने पर 24 वर्ष बतायी। इतमिनान हो जाने पर अभियुक्ता को मु0अ0सं0 581/2020 धारा 498A/304B भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस में समय करीब 11.30 बजे लिया गया। व म0का0 की देखरेख में किया गया। दौराने गिरफ्तारी विधिक नियमों का पालन किया जा रहा है। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

रिंकी पुत्री हिरालाल सा0 कुनेलपुर थाना गगहा गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 581/2020 धारा 498A/304B भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट

गिरफ्तारी का दिनांक स्थान व समय

दिनांक 31.3.21 स्थान ग्राम कुनेलपुर समय करीब 11.30 बजे

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1) उ0नि0श्री प्रभात सिंह थाना गगहा गोरखपुर
- (2) म0का0 नीरज पाण्डेय थाना गगहा गोरखपुर